सं0-87/xxviii (3)2005-10/2005

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
पौड़ी/पिथौरागढ़

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक : 18 मार्च, 2005

विषय: जनपद पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल के पत्र सं0-7प /1/उपकेन्द्र/23/2004/951 दिनांक 17.01.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004-05 में जनपद पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्य हेतु संलग्नानुसार कुल रू0 44,93,000=00 (रू0 चव्वालीस लाख तिरान्वे हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में इतनी ही धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ले तथा कार्य दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3. भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि आहरित की जाएगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई, क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, अपर परियोजना प्रबन्धक, रा0 निर्माण निगम तथा परियोजना प्रबंधक आर0ई0एस0 को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8- एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र 91-जिला योजना - 01-उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिलायोजना) 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जावेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-1405/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक 14..03.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0-87/xxviii (3)2005-10/2005 तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, नाजरा देरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- कोषाधिकारी, पौड़ी/पिथौरागढ़।
4- जिलाधिकारी, पौड़ी/पिथौरागढ़।
5- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून।
6- अपर परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल।
7- परियोजना प्रबंधक, आर0ई0एस0 उत्तरांचल।
8- क्षेत्रीय प्रबंधक, समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल।
9- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
10- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( अर्जुन सिंह )
संयुक्त सचिव

सं0-87/xxviii (3)2005-10/2005 दिनांक 18.3.05 का संलग्न क

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र. सं. | उपकेन्द्र का नाम | जनपद का नाम | निर्माण इकाई का नाम | कार्य की लागत | वर्ष 2004-05 में स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पोखरी खेत | पौडी | स0कल्या0नि0निगम | 5.83 | 5.83 |
| 2 | कांडाखाल | पौड़ी | स0कल्या0नि0निगम | 5.60 | 5.60 |
| 3 | शंकरपुर | पौड़ी | राज0निर्माण निगम | 7.00 | 7.00 |
| 4 | भौन | पौड़ी | राज0निर्माण निगम | 6.34 | 6.34 |
| 5 | बालातडी | पिथौरागढ़ | आर0ई0एस0 | 5.23 | 5.23 |
| 6 | झूलाघाट | पिथौरागढ़ | आर0ई0एस0 | 4.90 | 4.90 |
| 7 | तेजम | पिथौरागढ़ | आर0ई0एस0 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | विधुल | पिथौरागढ़ | आर0ई0एस0 | 5.03 | 5.03 |
| | | | | 44.93 | 44.93 |

(रू0 चव्वाली लाख तिरानवे हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव